



न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 20/2017 वाद

रामा बनाम श्री गिरधारी वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
20 $\frac{3}{24}$	<p>पत्रावली पेश हुई । अधिवक्ता वादी उपस्थित है । अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई । अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में बताया कि तहसीलदार साहब गढबोर से प्राप्त विभाजन फहरिस्त के साथ नक्शाट्रेस अनुसार विभाजन कर दिया जावे । अधिवक्ता वादी को कोई आपत्ति नहीं होने से तहसीलदार गढबोर से प्राप्त विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस स्वीकार किये जाकर ग्राम ढोडीवास पटवार मण्डल टाडावाडा गुजरान तहसील गढबोर की आराजी नंबर 52 रकबा .01.13.00 बीघा व आराजी नंबर 53 रकबा 02.01.00 बीघा भूमि का स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है । स्वीकृत विभाजन फहरिस्त एवं नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा । तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जाता है । पालना हेतु डिक्री की प्रमाणित प्रति व स्वीकृत विभाजन फहरिस्त व नक्शा ट्रेस तहसीलदार गढबोर को भेजा जावे । वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला-राजसमन्द</p> <p></p>	